नाभिकीय-अपशिष्ट से ईंधन

428. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1990 के "फाइनैन्सियल एक्सप्रैस" में "एनवेसटस यील्ड बैटर-क्लेम्स स्टडी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा किये गये अध्ययन के फलस्वरूप सामने आए निष्कर्षों को लागू करने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राजा रमन्ना) : (क) जी, हां।

(ख) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा संबंधित तकनीकी पहलुओं की जांच की जा रही है। निष्कर्ष लागू करने से पहले और अनुसंधान तथा विकास कार्य करने की जरूरत है।

(ग) तथा (घ) मौजूदा स्थिति में कार्यान्वयन की विस्तृत योजना का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, उल्लेखनीय है कि किया जाने वाला अध्ययन अपशिष्ट सामग्री में मौजूद परायूरेनियम मूल तत्वों से संबंधित है जोकि उस सामग्री में बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अध्ययन का ज्यादा जोर इस बात पर है कि अपशिष्ट सामग्री में मौजूद परायूरेनियम मूलतत्वों को अलग कर दिया जाए ताकि उनसे पैदा हो सकने वाले खतरे कम से कम हों तथा उन तत्वों को आगे ईंधन के रूप में काम में लाया जा सके।

पंजाब में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक

429. **श्री राम जेठमलानी.** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अप्रैल, 1990 के "ट्रिब्यून" में "प्राइमरी स्कूलस स्टावर्ड आफ जे. बी. टीज." शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1990 में पंजाब में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी थी और उनमें कार्यरत अध्यापकों की कुल संख्या कितनी थी; और

(ग) क्या अध्यापकों की संख्या विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में कम है; यदि हां, तो कुल कितने अध्यापकों की आवश्यकता है और इस शैक्षणिक वर्ष में इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 30 सितम्बर, 1988 से सम्बन्धित उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब में 12357 प्राइमरी स्कूल तथा 47493 शिक्षक हैं। अखिल भारतीय अनुपात 44 की तुलना में शिक्षक-छात्र अनुपात 40 है। अतः शिक्षकों की संख्या असन्तोषजनक नहीं है। शिक्षकों की नियुक्ति तथा पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है जो छात्रों के दाखिले, नए स्कूलों के खोले जाने, रिक्तियों के लिए उपयुक्त आबेदकों की उपलब्धता और राज्य योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया के प्रधान के विरुद्ध शिकायत

430. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21

अप्रैल, 1990 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "प्राइम-मिनिस्टर अर्जेड टू प्रोब एन्थ्रोपोलोजिकल सर्वे ऑफ इन्डिया अफेयर्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संस्थान के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संस्थान का प्रधान अधिकारी जो वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य में संलग्न है, वैज्ञानिक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन शिकायतों की जांच की है और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उच्चतम पद पर एक गैर-वैज्ञानिक को नियुक्ति किए जाने के क्या कारण हैं और इस संस्था के कार्य-करण में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (भा. मा. स.) के वर्तमान अधिकारी प्रधान के पास इतिहास में डाक्टरेट शोध उपाधि है; उन्होंने छोटानागपुर क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मानवविज्ञान-विषयक अध्ययन किया है तथा मानव-विज्ञान-विषय पर कई पुस्तकें और शोध-पत्र लिखे हैं, जिन्हें राष्ट्रीय तथा अंतर-राष्ट्रीय मान्यता भी मिली है।

भा. मा. स. के वर्तमान प्रधान अधिकारी का चयन संघ लोक सेवा आयोग ने गुणावगुण के आधार पर तथा पद की भर्ती नियमावली और पद्धति के अनुसार ही किया है तथा न्यायालयों ने न्यायिक जांच में भी उनके चयन की पुष्टि की है।

जहां तक भा. मा. स. के कार्य से संबंधित शिकायतों का प्रश्न है, सरकार ने उनकी जांच की है तथा उन्हें निराधार तथा दुर्भावनापूर्ण पाया है। ये शिकायतें निम्नलिखित प्रकार की थीं:—

(1) महानिदेशक के रूप में वर्तमान पदधारी की नियुक्ति में अनियमितताएं;

(2) प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग इत्यादि;

(3) मुख्यालय के भवन-निर्माण में विलम्ब;

(4) परामर्शदाता और संपादक पद पर नियुक्तियों में अनियमितता;

(5) मानवविज्ञान पार्क के लिए भूखंड अस्वीकार करना;

(6) फील्ड स्टेशनों की स्थापना में कमियां;

(7) मुख्यालय को कलकत्ता में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव;

(8) चालू शोध परियोजनाओं को छोड़ देना;

(9) स्थानांतरण दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए मनमाने ढंग से स्थानांतरण करना;

(10) 30-8-1989 को "भारत बंद" के दिन एक दिन के वेतन की कटौती करना;

(11) कर्मचारी संघ के दो पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र;

(12) कम्प्यूटरों की अनुचित स्थापना;

(13) प्राइवेट प्रकाशकों के माध्यम से प्रकाशन कार्यक्रम;

(14) शोधार्थियों की नियुक्ति में अनियमितता;

(15) गोपनीय रिपोर्टों के मामले में हेर-फेर;

(16) सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति में अनियमितताएं, और

(17) "भारत के लोग" परियोजना पर संसाधनों का अपव्यय।

दुर्भावनापूर्ण आरोपों और भा. मा. सं. के संतोषजनक कार्यकरण को मद्देनजर रखते हुए, सरकार इस समय भा. मा. स. में परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती है।

Setting up of a National Project on Elephants

431. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to establish a national project on elephants;

(b) if so, by when it would be finalised and from where the funds would be arranged; and what would be the cost of the project; and

(c) whether any task force has been set up?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INVIRONMENT AND FORESTS (SHRIMATI MANEKA GANDHI): (a) A special scheme for conservation of elephants in the country titled "Project Elephant" has been included in 8th Plan proposals of this Ministry.

(b) The proposed allocation for the project is Rs. 25 crores. Final approval to the VII Plan proposals has not been accorded by Planning Commission.

(c) Yes, Sir.

विलम्बित परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

432. **श्री अजीत जोगी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989 के अन्त तक विलम्बित परियोजनाओं की अनुमानित निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) वर्ष 1989 अन्त तक ऐसी विलम्बित परियोजनाओं की संख्या कितनी थी और उन परियोजनाओं की संख्या कितनी थी जिन्हें 1989 के वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया था; और

(ग) इन विलम्बित परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में किन-कारणों से पूरा नहीं किया जा सका?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागेश गोवर्धन): (क) 31-12-89 को इस मंत्रालय की प्रबोधन प्रणाली में उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रत्येक 20 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की विलम्बित परियोजनाओं की नवीनतम अनुमोदित लागत और प्रत्याशित लागत क्रमश: 42734.0 करोड़ रु. और 52802.1 करोड़ रु. है।

(ख) 31-12-89 को चालू होने की नवीनतम अनुमोदित तारीख के संदर्भ में 163 परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है। वर्ष 1988 के दौरान 30 परियोजनाएं पूरी हुई।

(ग) परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के जिन विभिन्न कारणों का पता लगाया गया है, वे निम्नलिखित हैं:--

-- भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब होना;

-- वन/पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब तथा आधार संरचना के विकास हेतु अग्रिम कार्रवाई में कमी का होना;

-- परियोजना की तैयारी का पर्याप्त न होना;

-- प्रर्याप्त निधियों/निधियों के स्त्रोतों (बजट संबंधी, आन्तरिक; बजट के अलावा और बाह्य), की व्यवस्था में विलम्ब का होना;

-- प्रौद्योगिकी करारों को अंतिम रूप देने में विलम्ब का होना;

-- विस्तृत इंजीनियरी व्यवस्था को अंतिम रूप देने में विलम्ब का होना;